राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान "बडोह" तहसील बडोह, जिला काँगड़ा के छात्र कल्याण निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2015

भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–** संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की कार्रवाई की समीक्षा के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गईः–

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क पत्र संख्या फिन (एल0ए0) सी (15) (11) (2) 475/07–खण्ड–1–3108 दिनाँक 28.7.2009 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा–4	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
3	पैरा–5	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
4	पैरा–6	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बडोह के अवधि 4/2009 से 3/2015 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदो में दिये गये है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनाँक 14.7.2015 से 24.7.2015 के दौरान संस्था के कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 6/09, 8/10, 7/11, 8/12, 8/13 व 1/15 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 11/09, 9/10, 9/11, 10/12, 11/13 व 2/15 चयनित किए गएं।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्यों ने संस्था में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्र0सं0	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1	श्री रमेश चन्द वर्मा	1.4.09 से 1.7.11
2	श्री उदय भानु	1.5.11 से 30.11.11
3	श्री जसवन्त सिंह	8.2.12 से 5.3.13
4	श्री एस0के0 लखनपाल	6.3.13 से 27.11.13
5	श्री सुनील कुमार	28.11.13 से लगातार

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था

द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बडोह के अवधि 4/2009 से 3/2015 के निधि लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹9000/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को भेजने हेतु संस्थान के प्रधानाचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 135 दिनाँक 24.7.15 द्वारा अनुरोध किया गया। इस राशि को संस्थान द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 639776 दिनाँक 31.7.2015 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बडोह द्वारा प्रस्तुत संस्थान की अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न से रहीः–

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष में प्राप्त आय	वर्ष में प्राप्त ब्याज	जोड़	व्यय	अन्तशेष
2009–10	206540	108935	5540	321015	61619	259396
2010–11	259396	131198	5526	396120	86320	309800
2011–12	309800	292599	6697	609096	120728	488368
2012–13	488368	218183	23769	730320	281230	449090
2013–14	449090	556260	24345	1029695	567170	462525
2014–15	462525	1363292	26631	1852448	1068546	783902

(i)	**दिनाँक 31.3.2015 तक वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष**	**783902**
(ii)	**दिनाँक 31.3.15 को रोकड़ बही अनुसार अन्तशेष**	**733902**
(iii)	**हस्तगत राशि जोकि 31.3.15 को रोकड़ बही में नहीं दर्शाई गई**	**50000**
	अन्तशेष का विवरण	
(i)	**दिनाँक 31.3.2015 तक के0सी0सी0 बैंक दानाओं के बचत खाता संख्या 20057022951 में जमा राशि**	**633902**
(ii)	**दिनाँक 31.3.2015 तक सावधि जमा योजना में निवेशित राशि**	**100000**
(iii)	**दिनाँक 31.3.2015 को हस्तगत राशि**	**50000**
	कुल जोड़	**₹733902**

5 **निवेशः–** दिनाँक 31.3.2015 तक संस्थान द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित ₹100000/– का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

एफ0डी0आर0 न0व0 बैंक	निवेश की तिथि	अवधि	निवेशित राशि	परिपक्वता दिनाँक	परिपक्वता राशि	दर
50051233466 के0सी0सी0	5.3.15	1 साल	100000	5.3.16	109308	9%

7 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

जाँच के दौरान छात्रों से फीस की वसूली हेतु जारी की गई रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में संस्थान द्वारा प्राप्त कुल रसीद बुकों, संस्थान द्वारा प्रयोग की गई रसीद बुकों व शेष रसीद बुकों की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत करके अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

8 रोकड़ बही में रसीदों की संख्या को न दर्शाने बारे

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में रसीदों के नम्बर/संख्या इत्यादि नहीं दर्शाई गई है, जिसके अभाव में आय की वसूली की पूर्ण जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः रोकड़ बही में रसीद संख्या न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा रोकड़ बही में समस्त रसीद नम्बरों को संस्था द्वारा दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 संस्थान द्वारा हस्तगत के रूप में ₹50000/– रखने बारे तथा रोकड़ बही में हस्तगत में ₹50000/– को न दर्शाने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि संस्था द्वारा दिनाँक 20.2.2015 से 31.3.2015 तक ₹50000/– हस्तगत रखी गई है, जबकि नियमानुसार सरकारी राशि को अगले कार्य दिवस पर जमा करवाना आवश्यक है। अतः बिना प्रयोजन के ₹50000/– को हस्तगत रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान जाँच में यह भी पाया गया कि दिनाँक 31.3.2015 को रोकड़ बही में हस्तगत ₹50000/– नहीं दर्शाई गई है जोंकि एक गम्भीर मामला है। अतः हस्तगत राशि को रोकड़ बही में न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से आगामी ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

9 जुर्माने के रूप में ₹20/– कम वसूलने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार जुर्माना के रूप में ₹20/– कम वसूले गए। अतः कम वसूली गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके उक्त निधि में जमा किया जाये व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

ट्रेड का नाम	माह	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली
मोटर मकेनिक	8/14	665	650	15
प्लम्बर	8/14	985	980	5
			कुल जोड़	**₹20**

10 रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में ₹190/— कम वसूलने बारे

प्रॉस्पेक्टस के अनुच्छेद 4.1 (छ) के अनुसार प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र से रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में ₹160/—वसूलनी अपेक्षित थी, परन्तु जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009—10 में कुल 19 छात्रों से ₹150/— की दर से उक्त शुल्क की वसूली की गई। इस प्रकार उक्त वर्ष में छात्रो से 19X10=₹190 कम वसूले गए, जोकि उचित नहीं था। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए ₹190/— की वसूली उचित स्त्रोत से करके, उक्त निधि में जमा की जाए तथा अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

11 अनियमित रूप से ₹17650/— का भुगतान करने बारे

जाँच के दैरान पाया गया कि संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से निम्न विवरणानुसार ₹17650/— का भुगतान किया गया, जोकि अधिसूचना संख्या EDN(TE)-A(3)-2/2004 दिनाँक 8.7.2010 के अनुसार उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेने के उपरान्त नियमित करवाया जाये अन्यथा ₹17650/— की वसूली उचित स्त्रोत से करके छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

फर्म का नाम	विवरण	बिल संख्या	दिनाँक	राशि
मै0 चंगर वेल्ली पुस्तक भण्डार सुन्ही	5 इंडेंट बुक 5 लेसन प्लान, 5 डेली डायरी	16	6.8.14	2850
—यथोपरि—	5 स्टोर रजिस्टर	32	13.8.14	2970
—यथोपरि—	7 स्टोर रजिस्टर	42	16.8.14	2730
—यथोपरि—	10 आर्डर बुक	66	14.10.14	2300
मै0 नेटकॉम कम्पयूटर काँगड़ा	1 डॉगल 1 सिम	1829	19.12.13	1900
मै0 नेटकॉम कम्पयूटर काँगड़ा	1 कैमरा	2183	15.10.14	4900
				₹17650

12 वेतन के रूप में भुगतान की ₹511600/— की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से न करने बारे

निदेशक, तकनीकी शिक्षा के पत्र संख्या STV (TE)H-C (1)B-A-ITI 2014—15 दिनाँक 28.11.2014 के अनुसार छात्र कल्याण निधि से रखे गये ट्रेनर व अन्य कर्मचारियों के वेतन की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष में शीर्ष नॉन—प्लान "Hononrarium 99" से की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण द्वारा जाँच में पाया गया कि दिनाँक 31.3.2015 तक वेतन के रूप में भुगतान की ₹511600/— की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से की जानी शेष है। अतः उक्त राशि

की प्रतिपूर्ति उक्त राजकीय कोष से शीघ्र करके अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

13 अग्रिम के रूप में भुगतान की गई ₹50000/– का समायोजन न करने बारे तथा अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि दिनाँक 20.2.2015 को श्रीमती ममता रानी ट्रेनर को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अग्रिम के रूप में ₹50000/– का भुगतान किया गया, परन्तु दिनाँक 31.3.2015 तक उक्त अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया गया है। अतः उक्त राशि का शीघ्र समायोजन करके अनुपालना से ऑडिट सें अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा अंकेक्षण के दौरान अग्रिम रजिस्टर जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में अग्रिम कब–कब दिया गया तथा कितना–कितना अग्रिम दिया गया तथा किस–किस प्रयोजन हुए कितना–कितना व्यय अग्रिम से किया तथा कितनी राशि बची, इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः अग्रिम रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अग्रिम रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

14 प्रतिभूति/जमानत राशियों को जब्त न करने बारे

प्रतिभूति/जमानत राशि के रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार छात्रों द्वारा संस्थान छोड़ने के एक वर्ष के उपरान्त भी अपनी प्रतिभूति/जमानत राशियों को प्राप्त नहीं किया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की विवरण पुस्तिका के नियम संख्या 4.1 के नोट (क) के अनुरूप कार्रवाई की जाए इन राशियों को जब्त करने के उपरान्त छात्र कल्याण निधि के अन्तर्गत हस्तांतरित करवाते हुए की गई कार्रवाई से आगामी ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

क्रमाँक	छात्र का नाम	ट्रेड का नाम	सत्र	राशि
1	बलवीर सिंह	ऑटोमकेनिक	2007–08	500
2	जितेन्द्र कुमार	ऑटोमकेनिक	2008–09	500
3	संजय कुमार	ऑटोमकेनिक	2008–09	500
4	भूपिन्द्र कुमार	ऑटोमकेनिक	2010–11	500
5	अश्वनी कुमार	ऑटोमकेनिक	2010–11	500
6	रोहित कुमार	ऑटोमकेनिक	2010–11	500
7	मंदीप	ऑटोमकेनिक	2013–14	500
8	अक्षय कुमार	ऑटोमकेनिक	2013–14	500
9	शमी चन्देल	फिटर	2007–09	500
10	पंकज ठाकुर	फिटर	2011–13	500

11	कर्ण कुमार	फिटर	2011–13	500
12	अभय कुमार	फिटर	2011–13	500

15 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान संस्थान द्वारा स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (Physical Verification) कभी नहीं करवाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर एवं भविष्य में वार्षिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से ऑडिट को अवगत करवाया जाये।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्षः– लेखों के रख–रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) सी 15 (xi)(ii) 475/2007 खण्ड–1–6432–6433 दिनांक02.11.15, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बडोह, तहसील बडोह, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर हि0प्र0

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.